निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–127/11
दायरा दिनांक :–21.12.2012
निर्णय दिनांक :–08.09.2022

उनवान

1. मांगीलाल पुत्र नाथुलाल निवासी बोरीना
2. नैनगी पुत्री नाथुलाल जातिगण कुम्हार
3. मांगीबाई निवासीगण बोरीना
4. नट्टीबाई निवासीगण बोरीना

–वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र आस्या जाति कुम्हार निवासी बोरीना
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90,188 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांक :– 08.09.2022

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री हेमराज एड0–वादी
2. श्री मदन गोपाल केवडा एड0–वादी
3 श्री राजेन्द्र कुमार सुमन एड0 –प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 राज0 टि0 एक्टविरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया। वादी के दादा आस्या उर्फ आशाराम के पांच पुत्र कमशः नाथूलाल, आनन्दीलाल, देवलाल, लक्ष्मण, भैरूलाल थे। वादी एवं प्रतिवादी के शामलाती खाते की आराजी वाके माल बोरीना तहसील बारां जिला बारां में आराजी खसरा नं. 200 रकबा 4 बीघा, खसरा नं. 152 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 11 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 11 रकबा 2 बीघा खसरा नं0 86 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं0 125 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नं. 147 रकबा 1 बीघा, खसरा नं0 200 रकबा 3 बीघा, कुल किता 11 कुल रकबा 24 बीघा स्थित है। जिसको आगे विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादीगण के पिता नाथूलाल एवं वादीगण के काका के बीच मौखिक बंटवारा हुआ था उसी के आधार पर [illegible] अपने पिता नाथूलाल के समय से ही नये खसरा नं. 39/593 रकबा 0.43 है0 [illegible] रकबा 0.36 है0, कुल किता 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:39:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

कुल रकबा 0.79 है0 पर काश्त करते चले आ रहे है। जबकि प्रतिवादी नं0 1 खसरा नं. 346/596 रकबा 0.61 है0 पर काश्त करता चला आ रहा है। वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी नं. 1 एवं शेष भाईयों के बीच मौखिक बंटवारे के आधार पर अपनी अपनी आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान कैंप बैंगना में दिनांक 7–2–83 को राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी/वादीगण के पिता एवं उसके भाईयों के उक्त आराजी का बंटवारा गलत तरीके से कर दिया गया। जबकि वादीगण जबकि वादीगण एवं प्रतिवादी मौखिक बंटवारे के आधार पर ही काश्त करते चले आ रहे है।

वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी नं. 1 के मध्य राजस्व विभाग द्वारा गलत तरीके से बंटवारा कर दिया गया जिसको वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 1 दुरूस्त करवाना चाहते है। जिस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 1 कब्जे काश्त करते चले आ रहे है। उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करा पा सकने के अधिकारी एवं नालिशी है। वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 39/593 रकबा 0.43 है0 78/599 रकबा 0.36 है0, आराजी कब्जे काश्त में चली आ रही है। व प्रतिवादी के खसरा नं. 346/596 रकबा 0.61 है0 आराजी कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादीगण एवं प्रतिवादी के अपने कब्जे काश्त के अनुसार आराजी खाते दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए वादीगण खसरा नं0 39/593 रकबा 0.43 खसरा 78/599 रकबा 0.36 है0 को अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी एवं नालिशी है।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम बोरीना सम्वत् 2066–69 खाता सं. 169 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2066–69 नकल जमाबंदी ग्राम बोरीना सम्वत् 2066–69 खाता सं. 127 नकल नक्शा ट्रेप नकल खसरा गिरदावरी ग्राम बोरिना सम्वत् 2066–69 नकल नमा0 सं0 196 दिनांक 12.02.83, पेश किये गये। साक्ष्य वादी में मांगीलाल व जानकीलाल के बयान कराये गये।

वादीगण के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकी नं. 1–आया वादीगण अपने पिता नाथूलाल के समय से ही नये ख0 नं0 39/593 रकबा 0.43 है0 खसरा नम्बर 78/599 रकबा 0.36 है0 कुल 2 किता रकबा 0.79 है0 भूमि काश्त करते चले आ रहे है। तथा उरोक्त भूमि अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है।

–वादीगण

तनकी नं. 2– आया कि प्रतिवादी के ख0 नं0 346/596 रकबा 0.61 है0 आराजी कब्जे काश्त में चली आ रही है इसका वाद पत्र पर क्या असर है।

–प्रतिवादीगण

तनकी नं. 3– अनुतोष

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:09:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
वारॉ

Scanned with CamScanner

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी का कथन है कि वादी का दादा आस्या उर्फ आशाराम के पांच पुत्र थे। वादी एवं प्रतिवादी के शामलाती खाते की आराजी वाके ग्राम बोरीना तहसील बारां में कुल ख0 नं0 11 किता रकबा 24 बीघा स्थित है। वादी के पिता नाथूलाल एवं वादीगण के काका के बीच मौखिक बटंवारा हुआ था उसी के आधार पर वादीगण अपने पिता नाथूलाल के समय से ही नये खसरा नं. 39/593 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 78/599 रकबा 0.36 है0 कुल किता 2 रकबा 0.79 है0 पर काश्त करते चले आ रहे है। तथा प्रतिवादी क्रम 1 खसरा नं0 346/596 रकबा 0.61 है0 पर काश्त करता चला आ रहा है। मौखिक बंटवारा के आधार पर वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी क्रम 1 व अन्य भाई अपनी अपनी आराजी काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व कैम्प बैंगना में दिनांक 7-2-83 को राजस्व कर्मचारीयों द्वारा वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 व अन्य भाईयों के उक्त आराजी का बंटवारा गलत तरीके से कर दिया जबकि सभी भाई मौखिक बंटवारे के आधार पर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त गलत बंटवारे को दुरुस्त करने हेतु वादी द्वारा यह दावा पेश किया है। वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी का कथन है कि ग्राम बोरिना की आराजी खसरा नं0 346, 596 रकबा 0.61 है0 वादी की खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा नं0 39/593 एवं खसरा नं0 78/594 रकबा 0.79 है0 प्रतिवादी के खातेदारी में दर्ज है। पूर्व में वादी व प्रतिवादी का खाता शामिल था। वादी के पिता व प्रतिवादी के पिता भाई-भाई थे। वर्षों पूर्व बंटवारा हुआ था। तथा कब्जे अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ वादी के खातेदारी में भूमि खसरा नं0 346, 596 दर्ज है परंतु कब्जा किसी अन्य भूमि पर है विवादित भूमि पर वादी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादी द्वारा प्रतिवादी को परेशान करने की नियत से दावा पेश किया है। विवादित भूमि को वर्तमान में प्रतिवादी का पुत्र घनश्यामक काश्त करता है विवादित आराजी को वादी द्वारा कभी काश्त नहीं किया है गत 40 वर्षो से प्रतिवादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद तनकी वाद निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है:-

तनकी नं. 1 इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम बोरिना सम्वत 2066-69 खाता सं0 169 के अनुसार लक्ष्मण पुत्र आशा कुम्हार का नाम खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबंदी ग्राम बोरिना सम्वत् 2066-69 खाता सं0 127 के अनुसार मांगीलाल पुत्र नाथुलाल, ग्यारसी बेवा नेनगी, मांगी, नटी पुत्रिया नाथूलाल कोम कुम्हार के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल खसरा गिरदावरी सं. 2066-69 के अनुसार लक्ष्मण पुत्र आशा कुम्हार का कब्जा काश्त होना दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2066-69 के अनुसार मांगीलाल पुत्र नाथुलाल, ग्यारसी बेवा नेनगी, मांगी, नटी पुत्रिया नाथूलाल कोम कुम्हार का कब्जा काश्त दर्ज होना पाया जाता है। ... सं0 196 दिनांक 12.12.1983

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:19:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

के अनुसार खातेदारान के मध्य बंटवारा हुआ जिसका नामा. खोला जाकर तस्दीक किया गया। इससे यह साबित विवादित आराजी का बटंवारा पक्षकारान के मध्य उनकी सहमति के आधार पर किया गया था। जिसके आधार पर नामा. खोला जाकर तस्दीक किया गया। यदि वादीगण उक्त बंटवारा से सहमत नहीं थे तो उनको नामा0 की अपिल प्रस्तुत कर राहत प्राप्त करनी चाहिए थी। वादीगण द्वारा ऐसा नहीं किया है वादीगण द्वारा सेटलमेन्ट से पूर्व का भी कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है ऐसी स्थिति में यह तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है। **तनकी नं. 2** इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी को था। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम बोरिना सम्वत् 2066–69 खाता सं. 169 के अनुसार खसरा नं. 39/593 रकबा 0.43 है0, खसरा नं. 78/594 रकबा 0.36 है0 भूमि प्रतिवादी लक्ष्मण पुत्र आस्या कुम्हार के खातेदारी में दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2066–69 के अनुसार विवादित भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा काश्त साबित होता है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रतिवादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में है। वादीगण का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त साबित करने में विफल रहे है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उक्त तनकीयात के निर्णय से यह साबित होता है कि विवादित आराजी का पक्षकारान की सहमति से बंटवारा हुआ था। सहमति के बटंवारे के आधार पर नामा. खोला जाकर तस्दीक किया गया था। यदि वादीगण को उक्त बटंवारे से आपत्ति थी तो नामा0 खारिज कराने की अपील क्यों नहीं की वादीगण विवादित आराजी पर अपना कब्जा साबित करने में भी विफल रहे है तथा वादीगण द्वारा सेटलमेन्ट से पूर्व का भी रिकार्ड पेश नहीं किया जिससे यह नहीं कहा जा सकता की पूर्व खसरा नं. का नया खसरा नं. कौनसा है वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:19:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 07/2020	अन्तर्गत 88,89,90,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक :– 08.09.2022
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:–श्री हेमराज बैरवा–वादी	अभिभाषक प्रतिवादी:–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. मांगीलाल पुत्र नाथुलाल निवासी बोरीना
2. नैनगी पुत्री नाथुलाल जातिगण कुम्हार
3. मांगीबाई निवासीगण बोरीना
4. नट्टीबाई निवासीगण बोरीना

–वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र आस्या जाति कुम्हार निवासी बोरीना
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

–प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 08.09.2022 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला–बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:19:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner